न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

(39)

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
35/2012/प्रा.पत्र/2012	22.11.2012	04.07.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री सत्यनारायण साहू पुत्र रामस्वरूप साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स सत्यनारायण संजय कुमार कोटा रोड देवली जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 7 तेलियो का मोहल्ला देवली जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी की और से श्री पंकज कुमारं अभिभाषक उपस्थित

:–निर्णय–:

दिनांक 04.07.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.06.2012 को समय 2.50 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स सत्यनारायण संजय कुमांर कोटा रोड देवली जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 7 तेलियो का मोहल्ला देवली जिला टोंक पर पहुंचां। एफ.बी.ओ.की हैसियत से सत्यनारायण साहू पुत्र रामस्वरूप साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स सत्यनारायण संजय कुमार कोटा रोड देवली जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 7 तेलियो का मोहल्ला देवली जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया ।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान मे **तेल रिफाइण्ड सोयाबीन (रूचि स्टार ब्राण्ड)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ.बी.ओ. श्री सत्यनारायण साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता सत्यनारायण साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे **तेल रिफाइण्ड सोयाबीन (रूचि स्टार ब्राण्ड)** के 8–10 टीन सील पैक्ड मे से एक टीन खुला हुआ मे से 1600 ग्राम वास्ते आम जनता को विकय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री सत्यनारायण साहू को रू0 128/–अक्षरे एक सो अट्ठाईस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **तेल रिफाइण्ड सोयाबीन (रूचि स्टार ब्राण्ड)** 1600 ग्राम के चार भाग 400–400 ग्राम को चार साफ व सूखे कॉच के जार मे भर व प्रत्येक जार को ढक्कन से एयर टाईट बंद किया व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गौंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–354 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

837

Scanned by CamScanner

50

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–354 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. सत्यनारायण साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./12/2792 दिनांक 07.08.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/549/एक्ट/2012/550 दिनांक 11.07.2012 अनुसार सत्यनारायण साहू से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **तेल रिफाइण्ड सोयाबीन (रूचि स्टार ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **तेल रिफाइण्ड सोयाबीन (रूचि स्टार ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के अभिभाषक ने जवाब पेश किया। प्रकरण मे सरकार की और से खाद्य सुरक्षा अधिकारी एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस खाद्य पदार्थ **तेल रिफाइण्ड सोयाबीन (रूचि स्टार ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/549/एक्ट/2012/550 दिनांक 11.07.2012 अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस अनुरोध किया कि उपरोक्त नमूना श्री सत्यनारायण साहू पुत्र रामस्वरूप साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स सत्यनारायण संजय कुमार कोटा रोड देवली जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 7 तेलियो का मोहल्ला देवली जिला टोंक से लिया गया है। नमूना परीक्षण के लिए दिनांक 02.07.2012 को खाध विश्लेषक अजमेर को भेजा गया था। फूड विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर **तेल रिफाइण्ड सोयाबीन (रूचि स्टार ब्राण्ड)** बाद जांच **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया। सत्यनारायण के समक्ष खाद्य सुरक्षा अधिकारी नही आये और न ही उक्त दिनांक को 1600 ग्राम रिफाईड तेल प्राप्त किया है। सत्यनारायण के हस्ताक्षर बाद मे बिना भरे फार्म पर करवाये है। समस्त कार्यवाही अधिकारी द्वारा विपक्षी की अनुपस्थित मे की गई है। विपक्षी ने **तेल रिफाइण्ड सोयाबीन (रूचि स्टार ब्राण्ड)** रूचि सोया इण्डस्ट्रीज गोविन्दपुर बावरी रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा रोड बून्दी का होना बताया था और उसका बिल भी प्रस्तुत किया था इसके बावजूद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैन्यू फैक्चरिंग कम्पनी को नोटिस नही दिया और ना ही पक्षकार बनाया है। विपक्षी पर दबाव डालकर खाली कागजो पर हस्ताक्षर कराये है। अतः अप्रार्थी को आरोपो से मुक्त किया जाकर प्रकरण निरस्त किया जावे अथवा विकल्प मे शून्य जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **तेल रिफाइण्ड सोयाबीन (रूचि स्टार ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 अप्रार्थी श्री सत्यनारायण साहू पुत्र रामस्वरूप साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स सत्यनारायण संजय कुमार कोटा रोड देवली जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 7 तेलियो का मोहल्ला देवली जिला टोंक पर शास्ती 21,000/– (अक्षरे इक्कीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 04.07.2019 से एक मांह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्यायिक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner